उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर

संख्या :-उ.प.रे./प्र.का/सरंक्षा बुलेटिन **दिनांक**:- 17.03.2025

मंडल रेल प्रबंधक :-अजमेर,बीकानेर, जयपुर,जोधपुर

विषय :-मासिक संरक्षा बुलेटिन फरवरी, 2025

प्रधान कार्यालय के सरंक्षा विभाग द्वारा गाड़ी संचालन में कर्मचारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक माह का मासिक संरक्षा बुलेटिन जारी किया जाता है । इसी सम्बन्ध में माह फरवरी, 2025 के मासिक सरंक्षा बुलेटिन को इस पत्र के साथ सलंगन करके भेजा जा रहा है । कृपया अपने मंडल के सभी कार्यस्थलों पर इसे भिजवाएं जिससे अधिकाधिक गाड़ी संचालन कर्मचारियों को संरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके ।

सलंगन :- यथोक्त ।

17/03/25
(देवानन्द यादव)
उप.मु.सरंक्षा अधिकारी /यातायात
कृते प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी

1.प्रतिलिपि - प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्ष / मुख्य विभागाध्यक्ष ।
2. सचिव महाप्रबंधक - महाप्रबंधक महोदय के अवलोकनार्थ ।
3. सचिव अपर महाप्रबंधक - अपर महाप्रबंधक महोदय के अवलोकनार्थ ।
4. वरि. मंडल सरंक्षा अधिकारी - अजमेर , बीकानेर , जयपुर , जोधपुर।

मासिक संरक्षा बुलेटिन माह फरवरी 2025

उत्तर पश्चिम रेलवे पर कार्यरत रेल संचालन से जुड़े सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान सामान्य एवं सहायक नियम संख्या 5.09 की अनुपालना कड़ाई से करना सुनिश्चित करें।

5.09. अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का प्रवेश.–

(1) किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी के प्रवेश के लिए स्टेशन मास्टर.–

(क) यदि संभव है तो, पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा **लोको पायलट** को सूचित करेगा कि गाड़ी अवरुद्ध लाइन पर ली जाएगी।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी के प्रवेश का नियंत्रण करने वाले सिगलन या सिगनलों को 'ऑफ' न किया जाए, तथा

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि जिन कांटों पर से गाड़ी को पास होना है, उन्हें सही तौर पर सेट कर दिया गया है और सम्मुख (फेसिंग) कांटों पर ताला लगा दिया गया है।

(2) संबंधित रोक (स्टॉप) सिगनल पर गाड़ी खड़ी कर देने के बाद उसे निम्नलिखित रीति से अवरुद्ध लाइन पर लिया जा सकता है अर्थात् :–

(क) जहॉ बुलावा (कॉलिंग ऑन) सिगनल लगा है वहॉ उसे 'ऑफ' करके **लोको पायलट** को रोक (स्टॉप) सिगनल 'ऑन' स्थिति में पास करने के लिए प्राधिकृत करना, या

(ख) जहॉ सिगनल पोस्ट टेलीफोन की व्यवस्था है वहॉ विशेष अनुदेशों के अनुसार, **लोको पायलट** को टेलीफोन पर रोक (स्टॉप) सिगनल 'ऑन' स्थिति में पास करने के लिए प्राधिकृत करना, या

(ग) 'ऑन' स्थिति में संबंधित सिगनल या सिगनलों को पास करने के लिए **लोको पायलट** को लिखित प्राधिकार देना। यह प्राधिकार पत्र किसी सक्षम रेल सेवक द्वारा भेजा जा सकता है, जो गाड़ी को पायलट (मार्गदर्शित) करके उस सिगनल या उन सिगनलों से पास कराएगा।

(3) प्रवेश लाइन पर ले जाने वाले सम्मुख (फेसिंग) कांटों पर गाड़ी को तब तक खड़ा रखा जाएगा जब तक किसी सक्षम रेल सेवक द्वारा उसे आगे बढ़ने के लिए हैंड सिगनल नहीं दे दिया जाता।

(4) अवरोध के स्थान से कम से कम 45 मीटर की दूरी पर एक रोक (स्टॉप) हैंड सिगनल दिखाया जाएगा जो कि **लोको पायलट** को यह बताएगा कि गाड़ी को कहॉ खड़ा करना है।

(5) ड्राइवर गाड़ी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखेगा और वह किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा।

स.नि.5.09(1) सामान्य नियम 5.09(2)(ग) में निर्दिष्ट लिखित प्राधिकार निर्धारित फार्म टी/509 पर होगा।

स.नि.5.09(2) यदि **लोको पायलट** को यह सूचित करने के बाद कि उसकी गाड़ी अवरुद्ध लाइन पर ली जाएगी, और अवरोध क्लीयर हो जाता है तो स्टेशन मास्टर संकेतों के आधार पर गाड़ी को ले सकता है। ऐसे मामले में वह **लोको पायलट** को फार्म टी/509 जारी करने के बजाय उसे यह सूचित करने के लिए एक लिखित मीमों जारी करेगा कि अवरोध क्लीयर हो जाने के कारण गाड़ी संकेतों पर ली जा रही है।

1. **संरक्षा अभियान/संरक्षा प्रचार-**
   - संरक्षा परिपत्र सं.02/2025 " पेपर लाइन क्लियर टिकट" के विषय पर जारी किया गया ।
   - विशेष संरक्षा अभियान सं. 02/2025, दिनांक 07.02.2025 से 21.02.2025 तक "लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, ट्रेक मशीन ऑपरेटर एवं टावर वैगन ऑपरेटर हेतु SPAD" के विषय पर चलाया गया।
   - विशेष संरक्षा अभियान सं. 03/2025, दिनांक 10.02.2025 से 24.02.2025 तक "सम्पूर्ण कोचिंग स्टॉक के कोच का अनुरक्षण" के विषय पर चलाया गया।
   - विशेष संरक्षा अभियान सं. 04/2025, दिनांक 12.02.2025 से 26.02.2025 तक "सभी शंटिंग स्थलों पर शंटिगं के दौरान सावधानियां" के विषय पर चलाया गया।

   (संख्या -उपरे /प्रका /संरक्षा/मासिक संरक्षा बुलेटिन दि: 17.03.2025)

17/03/25

(देवानन्द यादव)
उप.मु.संरक्षा अधिकारी /यातायात
कृते प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी

1. प्रतिलिपि - प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्ष / मुख्य विभागाध्यक्ष ।
2. सचिव महाप्रबंधक - महाप्रबंधक महोदय के अवलोकनार्थ ।
3. सचिव अपर महाप्रबंधक - अपर महाप्रबंधक महोदय के अवलोकनार्थ ।
4. वरि. मंडल संरक्षा अधिकारी - अजमेर , बीकानेर , जयपुर , जोधपुर।